



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]

हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE

जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004

GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/35/2015-Estt.

Date: 07-01-2019

स्थापना आदेश (रा.प) सं.04/2019

**ESTABLISHMENT ORDER (G.O) No.04/2019**

विषय: स्था. -ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति प्रदान करना - संबंधी।

**Sub:- Estt – Grant of financial up-gradation under ACP Scheme–Reg.**

\*\*\*\*\*

In terms of the instructions issued by CBEC vide F.No.A.32012/1/2004-Ad.II A dated 23-12-2008, the following officer is hereby granted 2<sup>nd</sup> financial up-gradation under Assured Career Progression Scheme as contemplated in DOP&T O.M.No. 35034/1/97-Estt.(D), dated 09.08.1999 circulated in Ministry of Finance, Department of Revenue of Circular No. 131/99 in F.No.12/98-99-Coord., dated 12.08.1999, from the date mentioned against his name. The financial up-gradation is to the pay scale of Rs.8000-275-13500 (Pre-revised scale).

क्रमांक Sl.No	अधिकारी का नाम व पदनाम Name of the officer & Designation श्री S/Sri	अधिकारी जिस आयुक्तालय से सेवानिवृत्त हुए Commissionerate from which officer was retired	जिस तारीख से द्वितीय वित्तीय प्रोन्नति प्रदान की जाती है Date from which the 2 <sup>nd</sup> financial up-gradation is granted
1	A.Narasimhulu, Superintendent (Retired)	Medchal GST [Erstwhile Hyderabad-I]	09-08-1999

2. He is informed that he should submit an undertaking to abide by the conditions mentioned in the above said O.M. as annexed to this order.

3. He is also informed that he may exercise his option within one month from the date of issue of this order for fixation of his pay under F.R.22(I)(a)(1).

(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individual

(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिपि अग्रेषित **Copy submitted to :**

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र ।

The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad zone.

**प्रतिलिपि Copy to :**

1. सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय कर, हैदराबाद/ विसखपटनम क्षेत्र।  
All the Principal Commissioners/Commissioners of Customs, Central Tax, Hyderabad / Visakhapatnam Zone.
2. सभी CAO/PAO, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र।  
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
3. महा सचिव, वर्ग "ख" (अराजपत्रित) (मंत्रालयीन) अधिकारी संगठन, हैदराबाद।  
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Non-Gazetted (Executive) officer's Association, Hyderabad zone.
4. महा सचिव, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लिपिवर्गीय अधिकारी संगठन, हैदराबाद।  
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Ministerial officer's Association, Hyderabad zone.
5. महा सचिव, अ जा/ अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद।  
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad zone.
6. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

अनुबंध ANNEXURE - I

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं 35034/1/97/-ESTT (D) दिनांक 09.08.1999  
के अनुसार एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु शर्तें

CONDITIONS FOR GRANT OF BENEFITS UNDER THE ACP SCHEME VIDE DOP  
& T O.M. NO. 35034/1/97/-ESTT (D) DATED 09.08.1999

1. एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम संबन्धित सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर उच्च वेतनमान /वित्तीय प्रोन्नति के द्वारा वित्तीय लाभ प्रदान करने पर विचार करती है इसलिए उन्हें पुनः आगे/नियमित पदोन्नति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करता।

The ACP Scheme envisages merely placement in the higher pay scale/ grant of financial benefits through financial up-gradation only to the Government Servant concerned on personal basis therefore neither amount to further/regular promotion.

2. वित्तीय प्रोन्नति का जा 35034/1/97-Estt. (D), दिनांक 9 अगस्त 1999 में बताए गए शर्तों को पूरा करने के आधार पर है। इसलिए यदि कोई कर्मचारी को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के लिए योग्य नहीं पाया जाता है तो लाभ को तुरंत रोक दिया जाएगा और रिक्वरी वसूली आदि के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

The financial up-gradation is subject to fulfillment of prescribed conditions as stipulated in the O.M. 35034/1/97-Estt. (D), dated August 9, 1999. Hence, if any employee found not fit for the benefit under this Scheme, the benefit will be immediately stopped and are subjected to appropriate action for the recovery etc.

3. वित्तीय प्रोन्नति उच्च पद से संबन्धित कोई कोई विशेषाधिकार प्रदान किए बिना निजी आधार पर है

Financial up-gradation is on personal basis without conferring an privileges related to higher status.

4. एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति, कर्मचारी का वेतन एफ आर 22(1) (a) (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं 1/6/97- Pay-I दिनांक 5 जुलाई 1999 के अनुसार न्यूनतम वित्तीय लाभ रु.100/- तक की होगी। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय लाभ अंतिम होगी और नियमित पदोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

The financial up-gradation under the ACP Scheme, pay of an employee shall be fixed under the provisions of FR 22(1) (a) (1) subject to a minimum financial benefit of Rs. 100/- as per the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 1/6/97-Pay-I dated July 5, 1999. The financial benefit allowed under the ACP Scheme shall be final and no pay-fixation benefit shall accrue of the time of regular promotion.

5. एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अंतर्गत उच्च वेतन प्रदान करना इस तथ्य पर निर्भर होगा कि कर्मचारी, उक्त लाभ को स्वीकार करते हुए, उसने बाद में रिक्त होने वाले उच्च पद पर नियमित पदोन्नति हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है, ऐसा माना जाएगा। यदि वह बाद में होने वाली नियमित पदोन्नति पर उच्च पद को स्वीकार करने से मना कर देता है तो इस संबंध में सामान्य निर्देशों में बताए गए अनुसार उन्हें नियमित पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। यद्यपि इसके बाद जब वह नियमित पदोन्नति को स्वीकार करता/ करती है तो वह ए सी पी स्कीम के अंतर्गत तभी दूसरी प्रोन्नति के लिए योग्य होगा जब वह ए सी पी स्कीम के अंतर्गत उस उच्चतर ग्रेड में वांछनीय सेवा योग्यता/अवधि को पूरी करता है, परंतु शर्त यह है कि जिस अवधि के लिए उन्हें

नियमित पदोन्नति से वंचित रखा गया था उक्त अवधि को इस प्रयोजन के लिए नहीं माना जाएगा।

Grant of higher pay scale under the ACP Scheme shall be conditional to the fact that an employee, while accepting the said benefit, shall be deemed to have given his unqualified acceptance for regular promotion on occurrence of vacancy subsequently, he shall be subject to normal debarment for regular promotion as prescribed in the general instructions in this regard. However, as and when he accepts regular promotion thereafter, he shall become eligible for the second up-gradation under the ACP Scheme only after he completes the required eligibility service/period under the ACP scheme in that higher grade subject to the condition that the period for which he was debarred for regular promotion shall not count for the purpose.

\*\*\*\*\*

### अनुबंध ANNEXURE - II

#### वचनपत्र UNDERTAKING

मैं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 9 अगस्त, 1999 में उल्लिखित नियमों और निर्देशों और स्थापना आदेश (एन जी ओ) सं.....दिनांक.....के साथ संलग्न शर्तों का पालन करने का वचन देता/ देती हूँ।

I undertake to abide by the Rules and Instructions laid down in Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Department of Personnel and Training) dated August 9, 1999 and conditions attached to Establishment Order (NGO) No. dated

स्थान Place:

हस्ताक्षर Signature :

तारीख Date:

नाम Name :